कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांकः सीएसयूडब्लू– 163/2017–18 दिनांकःजून 23 2017

कुटेशन विज्ञप्ति

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अकादमिक परिसर में स्थित कैफेटेरिया (भू–तल) है, जिसमें बैठने के लिये हाल, रसोई घर एवं स्टोर रूम आदि की व्यवस्था है। उक्त परिसर/भवन में कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक कुटेशनदाता को निम्न नियम एवं शर्तों के पालन हेतु नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/– (रू0 एक सौ मात्र) का शपथ–पत्र देना होगा एवं कैन्टीन में इच्छुक कुटेशनदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले जलपान, चाय–नाश्ता एवं खाद्य समग्रियो यथा– चाय, काफी, लस्सी, कोल्डड्रिंक्स, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, जलेबी, चाउमीन/नूडल्स, रसगुल्ला, बालूशाही, ढोकला बर्गर, छोला–भटूरा, स्प्रिंग रोल, कटलेट, पेटीज, पेस्ट्री, सैंडविच, डोसा, ऐग रोल, आमलेट आदि के बिक्री मूल्यो/दरों को सीलबन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय दिनांक 30.06.2017 तक **प्रेषित करना सुनिश्चित करें, निर्धारित दिनांक के उपरान्त कुटेशन प्रपत्रो को स्वीकार किया जाना सम्भव नही होगा।**

अन्य नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार होगीः–

1. वि0वि0 द्वारा कैन्टीन परिसर/भवन हेतु निर्धारित प्रतिमाह किराया रू0 2500/–(रू0 दो हजार पॉच सौ मात्र) वि0वि0 कोष में अग्रिम रूप से देय होगा।
2. सम्बन्धित ऐजेन्सी/फर्म को कैन्टीन संचालन के कार्य मे कम से कम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए।
3. सम्बन्धित ऐजेन्सी/फर्म के पास भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी "फूड लाइसेन्स" का होना अनिवार्य है।
4. सम्बन्धित चयनित ऐजेन्सी/फर्म को आदेश मिलने के 10 दिन के अन्दर रू0 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में **"अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर"** के पक्ष में सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. श्रम कानून का पालन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ऐजेन्सी/फर्म की होगी।
6. चयनित योग्य ऐजेन्सी/फर्म को वि0वि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन/परिसर की सुरक्षा एवं साफ–सफाई की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
7. वि0वि0 द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु जारी कार्य–आदेश को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है अथवा किसी भी समय एवं बिना कोई कारण बताये फर्म/ऐजेन्सी की सेवाये समाप्त करके परिसर को खाली कराया जा सकता है।
8. कैन्टीन संचालन के लिए वि0वि0 द्वारा फर्म/ऐजेन्सी की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की जायेगी जिसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीनीकरण भी किया जा सकता है।
9. गुणवत्ता की जाँच समय–समय पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा गठित कमेटी के द्वारा की जायेगी। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर जुर्माना करने के साथ ही कैन्टीन का संचालन सम्बन्धित आदेश भी निरस्त किया जा सकता है।
10. चयनित फर्म/ऐजेन्सी को कैन्टीन व्यवस्था हेतु वर्तन, फर्नीचर, रोशनी एवं पीने का पानी आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11. चयनित फर्म/ऐजेन्सी को विद्युत का वास्तविक खर्च वहन करना होगा। कुटेशनदाता को स्वयं का विद्युत मीटर लगाकर विद्युत बिल का भुगतान वि0वि0 कोष में करना होगा।
12. छात्र एवं स्टाफ के साथ चयनित फर्म/ऐजेन्सी को सदभावनापूर्ण व्यवहार करना होगा। फर्म/ऐजेन्सी को छात्र एवं स्टाफ से किसी प्रकार की शिकायत होने पर मामले के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा गठित कमेटी के समक्ष लाना होगा। कमेटी की संस्तुति पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण का निर्णय अन्तिम होगा।
13. विश्वविद्यालय एवं चयनित फर्म/ऐजेन्सी के मध्य किसी विवाद पर माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायालय क्षेत्र कानपुर नगर जनपद ही होगा।
14. कैन्टीन में मात्र सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों का ही विंकय होगा। खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाते एवं परोसते समय साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
15. कैन्टीन में मांसाहारी भोजन/खाद्य सामग्री (अण्डे को छोड़कर) को पकाया/बनाया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
16. कैन्टीन भवन/परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का विकय एवं सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा।
17. कैन्टीन का समय निम्नवत् रहेगाः
    (अ) गर्मियों में : प्रातः 6:30 बजे से सायं 7:30 बजे तक।
    (ब) सर्दियों में : प्रातः 7:00 बजे से सांय 7:30 बजे तक।

23/6

(पी0 के0 उपाध्याय)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त कुटेषन/विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

23/6

(पी0 के0 उपाध्याय)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

Sri Vivek
Pl. upload
on Uni. website.
23/6